

**प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE****भारतीय रिज़र्व बँक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)ई-मेल email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)**संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, मुंबई-400001**

DEPARTMENT OF COMMUNICATION, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai-400001

फोन/Phone: 91 22 2266 0502 फॅक्स/Fax: 91 22 22660358

मार्च 10, 2017

**आरबीआयकडून सहा एनबीएफसीचे पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द**

भारतीय रिज़र्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45-आयए (6) खाली देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून, भारतीय रिज़र्व बँकेने (आरबीआय) पुढील अब्कीय वित्तीय कंपन्यांची पंजीकरण प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत.

| अनु. क्र. | कंपनीचे नाव   | पंजीकृत कार्यालयाचा पत्ता   | सीओआर क्र.  | दिल्याची तारीख   | रद्दीकरण आदेशाची तारीख |
|-----------|---|---|-------------|------------------|------------------------|
| 1         | मेसर्स न्युमेरो उनो फायनान्स लि.  | प्लॉट क्र.155, देव आशिष, तळमजला, ठाणे (पश्चिम) - 400 604.   | 13.00651    | एप्रिल 7, 1998   | जानेवारी 5, 2015       |
| 2         | मेसर्स इंडो बोनिटो मल्टिनेशनल लि. (पूर्वीची इंडो कॅसल मल्टिमीडिया लि./इंडो-कॅसल फायनान्स लि.) | ए 729, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, कोपरखैरणे, नवी मुंबई - 400 705   | 13.00431    | मार्च 24, 1998   | एप्रिल 23, 2015        |
| 3         | मेसर्स एपिक एनर्जी लि. (पूर्वीची फिस्कल लि.)  | 304, ए विंग, विनस्वे कॉम्प्लेक्स, ओल्ड पोलिस लेन, अंधेरी रेल्वे स्टेशन समोर, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 069. | 13.00724    | एप्रिल 20, 1998  | एप्रिल 28, 2015        |
| 4         | मेसर्स बिली श्लोका एज्युटेक लि. (पूर्वीची राठी मर्कटाईल इंडस्ट्रीज लि.)                       | इंडस्ट्री हाऊस, 5 वा मजला, 159, चर्चगेट रेक्लमेशन, मुंबई - 400 020.   | 13.00876    | मे 26, 1998      | जून 5, 2015            |
| 5         | मेसर्स सुदर्शन राठी फायनान्स प्रा. लि.  | 203, बी विंग, स्नेह गंगा बिल्डिंग, शंकरशेट रोड, पुणे - 411 037.   | 13.00712    | एप्रिल 20, 1998  | मे 26, 2015            |
| 6         | मेसर्स रिषभ फिनसेक प्रा. लि.  | कॅपटी लाईन्स, बाबा फर्निचर जवळ, जी ई रोड, राजनांदगाव - 491 441.   | B.03.000 01 | जानेवारी 5, 1998 | जानेवारी 12, 2017      |

ह्यामुळे, भारतीय रिज़र्व बँक अधिनियम 1934 च्या कलम 45 आय च्या खंड (अ) खाली दिल्यानुसार वरील कंपन्या, अब्कीय वित्तीय कंपनीचा व्यवसाय करू शकत नाहीत.

**अजित प्रसाद**

वृत्तपत्र निवेदन : 2016-2017/2429

सहाय्यक सल्लागार